राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / अलेसे–II / 12 दिनांकः– 07/04/2022

आदेश संख्या 102/2021–22

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिको को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)2008–I दिनांक 01.06.2017 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.*	प्यारे लाल रेगर (4950)	112 / 92	23.01.1995	23.01.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा। वित्त विभाग की नॉटिफिकेशन संख्या एफ. 14(88) / वित्त / नियम / 2008 पीटी दिनांक 18.12.2020 के अनुसार तीसरी संतान का पूर्व में प्रभाव डाले जाने के कारण 27 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय एसीपी स्वीकृत की जा रही है।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(राधेश्याम मीणा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / अलेसे–II / 12 दिनांकः– 07/04/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I / एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)